उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

अधिसूचना

संख्या- 7/2023/ 372/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022
लखनऊ; दिनांकः 11 मार्च, 2023

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.आर. 653(इ) दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में उक्त यान को स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित श्रेणियों के यानों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के समक्ष यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से छूट प्रदान करती हैं।

सारणी

| क्रमांक | यान का विवरण | कर छूट |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के यान | 75 (पचहत्तर) प्रतिशत |
| 2 | वर्ष 2003 में या इसके पश्चात् और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के यान | 50 (पचास) प्रतिशत |
| 3 | वर्ष 2008 में या इसके पश्चात् और वर्ष 2013 में या इसके पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य के जिलों में रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के डीजल चलित यान | 50 (पचास) प्रतिशत |

(2) पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन, केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट होगी :

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रकार के यानों पर शास्ति की छूट देय सम्पूर्ण कर पर अनुमन्य होगी।

(3) उपरोक्त छूट, यान स्वामी को यान पर छूट के पश्चात् संदेय एकमुश्त अवशेष धनराशि जमा करने पर ही उपलब्ध होगी।

(4) उपरोक्त छूट इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2023/372(1) /तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-7/2023/372(2)/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 11 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-7/2023/372(3)/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN**
**PARIVAHAN ANUBHAG-4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 7/2023/372/xxx-4-2023-30-4099(099)/229/2022, dated 11 March, 2023.

**Notification**

**ORDER**

No 7/2023/372/xxx-4-2023-30-4099(099)/229/2022
Lucknow : Dated : 11 March, 2023

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to exempt the categories of vehicles described in Column -2 of the Schedule below, from the payment of tax due under section 4 of the aforesaid Act upto the limit as specified against each in Column-3 of the said Schedule on the condition of getting the said vehicle scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government vide G.S.R. 653 (E) dated 23 September, 2021

**SCHEDULE**

| Sl.No. | Vehicle Description | Tax Exemption |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Vehicles of all categories registered in the State before year 2003 | 75 (Seventy-five) percent |
| 2 | Vehicles of all categories registered in the State in or after year 2003 and before year 2008 | 50 (Fifty) percent |
| 3 | Diesel vehicles of all categories registered in the districts of the National Capital Region falling in the state in or after the year 2008 and before or in the year 2013 | 50 (Fifty) percent |

(2) Under section 3 of the aforesaid Act, there shall be 100% exemption in the penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles, to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government :

Provided that exemption of the penalty on the above types of vehicles shall be admissible on the entire due tax.

(3) The above exemption shall be available to the vehicle owner only on depositing the remaining amount in lump sum payable after the exemption.

(4) The above exemption shall be effective for a period of one year from the date of issue of this notification.

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।